न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या
90/2019

रजू दिनांक
02.04.2019

निर्णय दिनांक
25.05.2023

उनवान

1. लालसिंह पुत्र वदलुराम जाति अहीर निवासी नानगवास तह. नीमराना।

:—वादी।

वनाम

1. शांति पत्नी शंकर जाति अहीर
2. वावूलाल पुत्र शंकर जाति अहीर
3. शीशराम पुत्र शंकर जाति अहीर
4. सत्यवीर पुत्र शंकर जाति अहीर
5. मुन्नी देवी ओमप्रकाश जाति अहीर
6. पूर्णसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर
7. रजनी पुत्री ओमप्रकाश जाति अहीर
8. मंजू पुत्री ओमप्रकाश जाति अहीर
9. निहाल सिंह पुत्र प्रभाती जाति अहीर
10. लालसिंह पुत्र प्रभाती जाति अहीर
11. वावूलाल पुत्र प्रभाती जाति अहीर
12. लीलाराम पुत्र प्रभाती जाति अहीर
13. लाली पुत्री प्रभाती जाति अहीर
14. वीरमती पुत्री प्रभाती जाति अहीर निवासीयान ग्राम नानगवास तह0 नीमराना।
15. उपपंजीयक, मॉढण।
16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

17. मेवा पुत्री वदलू जाति अहीर निवासी नानगवास पत्नी रामानन्द जाति अहीर निवासी नया गावं चक नं. 01 तह0 नीमराना।

तर0प्रतिवादी।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी
अन्तर्गत धारा 88,188,189 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:— 1 श्री हरप्रीत यादव एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि मिन वादी एंव तर0प्रति0 सं0 17 की खातेदारी हाल आराजी ख.नं. 297/0.27 वाके ग्राम नानगवास तह0 नीमराना जो साविक ख0नं0 266/02–02 विस्वा से वना है। तथा प्रति.सं. 01 लगा. 14 की खातेदारी हाल ख.नं. 191/0.51 वाके ग्राम नानगवास जो साविक ख0नं0 157/01–16 विस्वा से वना है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 पेश है। जमावंदी संतव 2026 के खाता सं0 120/113 मे दर्ज सभी ख.नं. मे मिन वादी एंव तरप्रति0 के पिता वदलुराम 1/6 हिस्से का खातेदार दर्ज है लेकिन वाहमी वंटवारे मे ख.नं. साविक 266/02–02 हमारे पिता वदलुराम के हिस्से मे था। इसलिए हाल ख.नं. 297 वादी एंव तर प्रति को विरासत मे प्राप्त हुआ है। मौके पर हाल ख.नं. 297 का रकवा साविक नं0 266/02–02 के अनुसार सही है। परन्तु वंदोवस्त संवत 2042 मे गलती व लापरवाही से वादीगण की आराजी का 06 एयर रकवा कम कर 0.47 अंकित कर दिया तथा इसी अनुसार हाल खं.नं. 191 का रकवा मौका व

अधिकारी
(अलवर)

Sidd/2023

साबिक नं0 157/01–16 के मुताबिक कुल 0.45 अंकित होना चहिए था परन्तु गलती से 06 एयर करबा बढ़ाते हुए 0.51 दर्ज कर दिया। जबकि बंदोबस्त विभाग को इस प्रकार रकबा कम या अधिक दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नही थां। प्रतिवादीगण इस गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी विवादित को रहन बय करने की जुस्तजु मे है। इसलिए वादीगण को यह वाद दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0दवामी पेश करना लाजिम आया है।

2. अन्त में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैः–
(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादी सं0 01 लगा. 14 के ख.नं. हाल 191/0.51 वाके नानगवास तह0 नीमराना मे से 6 एयर रकबा कम कर उसका रकबा 0.51 के स्थान पर 0.45 अंकित किया जावे एंव उक्त 06 एयर रकबा को मिन वादी व तर0प्रति. 17 के हाल ख.नं. 297/0.47 मे मिलाया जाकर उसका रकबा 0.47 के स्थान पर 0.53 अंकित किये जाने की घोषणा फरमाई जावे इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जावें।
(ख) डिक्री हु0ई0दवामी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की फरमाई जावे कि वो विवादित आराजी के गलत इंद्राज के आधार पर रहन बय नही करे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ना ही वादी के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे।
(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(घ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे ।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण उपस्थिति नही हुए लिहाजा उनके विरूद्व दिनांक 23.10.2019 एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत कि गई।

4. वादी ने साक्ष्य मे स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01,महेन्द्रसिंह पुत्र कृष्ण का शपथ पत्र पी. डब्लू. 02,नारायणसिंह पुत्र घीसाराम का शपथ पत्र पी.डब्लू. 03 पेश किए है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमावंदी संवत 2026 प्रदर्श 01, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 02,, नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 प्रर्दश 03,04 नकल नोटिस धारा 80 सी0पी0सी प्रदर्श 05,रसीद पोस्ट ऑफिस प्रदर्श 06 पेश किए है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042–61 प्रर्दश 05 के अनुसार विवादित हाल ख.नम्बरान निम्न प्रकार कायम किए हैः

संवत 2042–61	
हाल	साबिक
297/0.47	266/02–02
191/0.51	157/01–16

नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 से साबित है कि मैट्रिक प्रणाली के अनुसार हाल ख.नं. 297 का रकबा 0.47 के बजाय 0.53 दर्ज होना चाहिए था तथा हाल ख.नं. 191 का रकबा 0.51 के बजाया 0.45 दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार यह साबित है कि हाल ख.नं. 297 मे 06 एयर रकबा कम किया जाकर हाल ख.नं. 191 मे 06 एयर रकबा गलती से बढाया गया है। इसी अनुसार जमाबंदी संवत 2070–73 मे रकबा गलत अंकित हो रहा है जिसे साबिक जमाबंदी संवत 2026 प्रदर्श 01 के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव साक्ष्य के आधार पर वाद वादी साबित होता है। वाद वादी डिक्री किया जाना कानूनसंगत प्रतित होता है।

6. अतः आदेश है कि:—

वाद वादी वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बावत दुरूस्ती इन्द्राजात एकपक्षीय डिक्री किया जाकर ख.नं. हाल 191/0.51 वाके नानगवास तह0 नीमराना मे से 6 एयर रकबा कम कर उसका रकबा 0.51 के स्थान पर 0.45 अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है एंव उक्त 06 एयर रकबा को वादी व तर0प्रति. 17 के हाल ख.नं. 297/0.47 मे मिलाया जाकर उसका रकबा 0.47 के स्थान पर 0.53 अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो, पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

मुकुट सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या 90 / 2019 | रजू दिनांक 02.04.2019 | निर्णय दिनांक 25.05.2023

उनवान

1. लालसिंह पुत्र बदलुराम जाति अहीर निवासी नानगवास तह. नीमराना।

:—वादी।

बनाम

1. शांति पत्नी शंकर जाति अहीर
2. बाबूलाल पुत्र शंकर जाति अहीर
3. शीशराम पुत्र शंकर जाति अहीर
4. सत्यवीर पुत्र शंकर जाति अहीर
5. मुन्नी देवी ओमप्रकाश जाति अहीर
6. पूर्णसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर
7. रजनी पुत्री ओमप्रकाश जाति अहीर
8. मंजू पुत्री ओमप्रकाश जाति अहीर
9. निहाल सिंह पुत्र प्रभाती जाति अहीर
10. लालसिंह पुत्र प्रभाती जाति अहीर
11. बाबूलाल पुत्र प्रभाती जाति अहीर
12. लीलाराम पुत्र प्रभाती जाति अहीर
13. लाली पुत्री प्रभाती जाति अहीर
14. बीरमती पुत्री प्रभाती जाति अहीर निवासीयान ग्राम नानगवास तह0 नीमराना।
15. उपपंजीयक, मॉढण।
16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

17. मेवा पुत्री बदलू जाति अहीर निवासी नानगवास पत्नी रामानन्द जाति अहीर निवासी नया गावं चक नं. 01 तह0 नीमराना।

तर0प्रतिवादी।

दावा इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राजात एंव हु0ई0दवामी अन्तर्गत धारा 88,188,189 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:— 1 श्री हरप्रीत यादव एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक:— 25.05.2023

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एकपक्षीय डिक्री किया जाकर ख.नं. हाल 191 / 0.51 वाके नानगवास तह0 नीमराना मे से 6 एयर रकबा कम कर उसका रकबा 0.51 के स्थान पर 0.45 अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है एंव उक्त 06 एयर रकबा को वादी व तर0प्रति. 17 के हाल ख.नं. 297 / 0.47 मे मिलाया जाकर उसका रकबा 0.47 के स्थान पर 0.53 अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है।

25/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)